

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या-13017/37/2013-अ.भा.से.(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक, 27 फरवरी, 2015

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्तर प्रदेश और गृह मंत्रालय की सहमति से केंद्र सरकार एतद्वारा श्री अभिषेक सिंह, आईएएस (यूपी:11) को दिशानिर्देशों में छूट प्रदान करते हुए जीवनसाथी के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग (दिल्ली अनुभाग) में प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है।


(एस. एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद (हरियाणा)